संख्या-173/2024/1426/22-2-2024-17(466)/2021

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 अक्टूबर, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी इश्तखार पुत्र श्री अख्त्यार अली, निवासी जनपद-कन्नौज की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक, (मु0) कारागार के पत्र संख्या-27354/प्रो0अनु0(2)-271/2024 (बैठक दिनांक 03.09.2024), दिनांक 06.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी इश्तखार पुत्र श्री अख्त्यार अली, अहमदपुर रौनी, थाना-कन्नौज, जनपद-कन्नौज का निवासी है। दिनांक 09.06.1999 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पूर्व में हुए विवाद के कारण बन्दूक व कट्टों से गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं 02 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-286/1999 में भा0द0सं0 की धारा-148, 302/149, 323/149 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, कन्नौज के आदेश दिनांक 18.04.2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03.08.2007 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.08.2024 तक 15 वर्ष 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 04 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 09.08.2024 तक 56 वर्ष 09 माह 05 दिन है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा शासनादेश दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-09(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त बंदी को कारागार से रिहा किये जाने पर पुन: अपराध का अवसर होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नही होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 09.06.1999 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पूर्व में हुए विवाद के कारण बन्दूक व कट्टों से गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं 02 अन्य को घायल कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से संबंधित ऐसे कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इश्तखार पुत्र श्री

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अख्त्यार अली को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी इश्तखार (बन्दी संख्या-22579) पुत्र श्री अख्त्यार अली, निवासी जनपद-कन्नौज की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-173/2024/1426(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका क्रिमिनल संख्या-356/2022 इश्तखार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.2023 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।